न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 605/2016

1 मलकियत सिंह पुत्र श्री राम सिह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति मजहबी निवासी चक 13 एफ बड़ा गुरू की ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2 जसवीर सिंह पुत्र श्री राम सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति मजहबी निवासी चक 13 एफ बड़ा गुरू की ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1 जसवीर कौर तथाकथित पत्नि प्यारा सिंह जाति मजहबी निवासी चक 13 एफ गुरू की ढाणी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2 रानी तथाकथित पुत्री प्यारा सिंह जाति मजहबी निवासी चक 13 एफ गुरू की ढाणी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3 स्टैट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर (राज.)

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओ.पी. बत्तरा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17-03-2018

प्रार्थी नें जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्यारा सिंह पुत्र अच्छर सिंह को बतौर नान कलेमगेन्ट पर चक 45 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरबा नम्बर 44 का किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13/2, 14, 15, में 3,087 हैक्टर रकबा जीवों पर अलाट किया गया है। वरवक्त अलाटमेन्ट में प्यारा सिंह खुद, पत्नि भगवान कौर, रणजीत कौर लड़की जीतकौर लडकी अलाटमेन्ट के बाद रणजीत कौर व जीत कौर दोनो का स्वर्गवास हो गया तथा प्यारा सिंह व भगवान कौर दोनो जिवित थे। प्यारा सिह का कत्ल हो गया तथा भगवान कौर अपने देवर प्रितम सिंह के साथ रहती थी। नकल वोट लिस्ट अलाटमेन्ट कार्ड शामिल प्रार्थना पत्र हाजा है। प्यारा सिंह का स्वर्गवास हो गया तथा उसकी पत्नि भगवान कौर का भी स्वर्गवास हो गया जिसका प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नही है, तथा प्रीतम सिंह प्यारासिंह का वारिस है प्रीतम सिंह का स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस राम सिंह है। तथा राम सिंह का स्वर्गवास हो गया जिसका जायज वारिस उसके लड़के प्रार्थीयान है। एवं जमीन का कब्जा प्रार्थीगण के पास के पास काफी वर्षों से चला आ रहा है।

प्रार्थीगण का कब्जा शान्ति पूर्वक काफी वर्ष से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा धोखा व षड़यन्त्र रचकर रकबा अपने नाम करवा लिया है। तथा वह इस जमीन को आगे खुर्द बुर्द करना चाहते है। तथा जमीन पर नजायज कब्जा करना चाहते है यदि उन्होने इस भूमि को खुर्द बुर्द किया या उक्त भूमि जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा दावा का मकसद ही समाप्त हो जावेगा।

लगातार 2

प्रथम दृष्टया से मामला प्रार्थीयान के पक्ष में हैं। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीयान के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि चक 43 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का मुरबा नम्बर 44 के किला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 13/2, 14, 15 में 3.087 हैक्टर नहरी कृषि में वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त बारी पानी उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण खुद अथवा अन्य किसी की सहायता से मुदअखलत करने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया कि विवाद ग्रस्त भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 43 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का मुरबा नम्बर 44 के किला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 13/2, 14, 15 में 3.087 हैक्टर नहरी कृषि भूमि के सम्बंध में आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथा स्थिति बनाई रखी जावे।

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में से यह तथ्य स्वीकार है कि प्यारा सिंह पुत्र अच्छर सिंह को भारत सरकार द्वारा वाके चक 13 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 44 में 12.10 बीघा भूमि अलॉट है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि बरवक्त अलॉटमेन्ट प्यारा सिंह के साथ कथित भगवान कौर पत्नि, जीत कौर पुत्री, रणजीत कौर पुत्री पर रकबा अलॉट किया गया है। यह तथ्य भी असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि अलॉटमेन्ट उपरान्त कथित जीतकौर, रणजीतकौर अविवाहित स्वर्गवास हो गयी एवं प्यारासिंह व भगवानकौर जीवित रह गये जबकि प्यारा सिंह की पत्नि का नाम जसकौर उर्फ जसवीर कौर है। यह तथ्य स्वीकार है। कि प्यारा सिंह का कत्ल हो गया। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि प्यारा सिंह की पत्नि का नाम भगवान कौर था वरन् प्यारा सिंह की पत्नि का नाम जसकौर उर्फ जसवीर कौर है जो कि प्रतिवादिया संख्या 1 है तथा प्रतिवादिया संख्या 2 रानी मृतक प्यारा सिंह की पुत्री है एवं उक्तानुसार ही प्रतिवादीगण के तमाम पहचान पत्रों में प्यारा सिंह का नाम दर्ज है जिसकी फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जा रही है असल बरवक्त साक्ष्य प्रस्तुत की जावेंगी। इसके अलावा प्यारा सिंह के कत्ल उपरान्त तलाशी में प्राप्त सामान भी न्यायालय से प्रतिवादिया संख्या 1 जसकौर को बतौर पत्नि प्यारा सिंह प्राप्त हुआ जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है। यह तथ्य भी असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि जसकौर प्रतिवादिया मुजीब प्यारा सिंह की पत्नि नहीं है। प्रतिवादिया को प्यारा सिंह की सम्पति में कोई हक व हिस्सा ना हो। अप्रार्थीगण मृतक प्यारा सिंह के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनके नाम से मृतक प्यारा सिंह की कृषि भूमि बतौर वारिसान विरास्तन औध होकर राजस्व रिकॉर्ड में अगले वर्ष हो चुका है तथा तथ्य असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि प्रीतम सिंह वारिस है जिसके देहान्त उपरान्त रामसिंह, बलजिन्द्र सिंह उत्तराधिकार है व राम सिंह के स्वर्गवास उपरान्त प्रार्थीगण जायज वारिसान है। यह तथ्य भी सत्य एवं विधि विरूद्ध होने के कारण अस्वीकार है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीगण विवादित भूमि के हकदार व उत्तराधिकार है। मृतक प्यारा सिह के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 है जिनके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि का इंतकाल हो चुका है एवं कानूनन प्रथम श्रेणी के वारिसान के मौजूद होते द्वितीय श्रेणी के वारिसान का कोई हक में हिस्सा नही होता है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा होने के तथ्य गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है।

लगातार 3

मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है। कि अप्रार्थीगण द्वारा बदनीयती पूर्वक ग्राम पंचायत से मिलकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पटवारी हल्का से साज बाज कर विवादित भूमि का इंतकाल अपने नाम से करवाया हो। यह तथ्य असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि प्रार्थीगण का कब्जा विवादित भूमि पर काफी वर्षों से चला आ रहा हो वरन् वादीगण का कब्जा नहीं है। यह तथ्य भी असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा धोखा व षडयन्त्र से भूमि अपने नाम करवा ली है एवं भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है। अथवा कब्जा करना चाहते है। यहां यह तथ्य अंकित करना आवश्यक होगा कि अप्रार्थीगण मृतक प्यारा सिंह के प्रथम श्रेणी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान है जिनके नाम से विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज एवं कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण मुजीब ऐलानिया खातेदार है एवं काबिज है ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को न तो कोई नुकसान है एवं ना हीं वाद का कोई मकसद ही समाप्त हो रहा है।

प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन होने के तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण वांछित अस्थायी निषेधाज्ञा खातेदार के खिलाफ प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थीगण द्वारा अपनें जबाब दावा के साथ अतिरिक्त कथन किया कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैन्ड से नहीं आये है एवं सही तथ्यों को छुपाया है। इसलिये प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र के माध्यम से प्यारा सिंह के वारिसान होने के सम्बन्ध में आक्षेप लेकर अप्रार्थीगण के उत्तराधिकारी होने का विवाद उत्पन्न किया है, जो कि विधि का जटिल प्रश्न है एवं कानूनन विधि के जटिल प्रश्न निर्णित करने में महज दीवानी न्यायालय ही सक्षम है राजस्व न्यायालय ऐसे तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित करने में सक्षम नही है। इसलियें वाद दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने के कारण प्रार्थना पत्र नाकाबिल चलने के है।

प्रस्तुतकर्त्ता दस्तावेज एवं प्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति से अप्रार्थीगण मृतक प्यारा सिंह के वारिसान प्रमाणित है इसलिये प्रार्थना पत्र नाकाबिल चलने के हैं। प्रार्थीगण का वाद गुणावगुण पर संधारण योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टया केस साबित है एवं ना हीं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं ना ही प्रार्थीगण को कोई क्षति ही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई दौरान बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्यारा सिंह पुत्र अच्छर सिंह को बतौर नान कलेममेन्ट पर चक 45 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरबा नम्बर 44 का किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13/2, 14, 15, में 3,087 हैक्टर रकबा जीवों पर अलाट किया गया है। अलाटमेन्ट के समय प्यारा सिंह खुद, पत्नि भगवान कौर, रणजीत कौर लड़की जीतकौर लडकी अलाटमेन्ट के बाद रणजीत कौर व जीत कौर दोनो का स्वर्गवास हो गया तथा प्यारा सिंह व भगवान कौर दोनो जिवित थे। प्यारा सिह का कत्ल हो गया तथा भगवान कौर अपने देवर प्रितम सिंह के साथ रहती थी।

प्यारा सिंह का स्वर्गवास हो गया तथा उसकी पत्नि भगवान कौर का भी स्वर्गवास हो गया जिसका प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नही है, तथा प्रीतम सिंह प्यारासिंह का वारिस है प्रीतम सिंह का स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस राम सिंह है। तथा

लगातार 4

राम सिंह का स्वर्गवास हो गया जिसका जायज वारिस उसके लड़के प्रार्थीयान है। एवं जमीन का कब्जा प्रार्थीगण के पास के पास काफी वर्षों से चला आ रहा है। अतः मूल वाद के निर्णय तक विवादीत आराजी पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई (Confirm) किया जावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस अपनें जाबब प्रार्थना पत्र को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्यारा सिंह पुत्र अच्छर सिंह को भारत सरकार द्वारा वाके चक 13 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 44 में 12.10 बीघा भूमि अलॉट है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि बरवक्त अलॉटमेन्ट प्यारा सिंह के साथ कथित भगवान कौर पत्नि, जीत कौर पुत्री, रणजीत कौर पुत्री पर रकबा अलॉट किया गया है। यह तथ्य भी असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि अलॉटमेन्ट उपरान्त कथित जीतकौर, रणजीतकौर अविवाहित स्वर्गवास हो गयी एवं प्यारासिंह व भगवानकौर जीवित रह गये जबकि प्यारा सिंह की पत्नि का नाम जसकौर उर्फ जसवीर कौर है। यह तथ्य स्वीकार है। कि प्यारा सिंह का कत्ल हो गया। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि प्यारा सिंह की पत्नि का नाम भगवान कौर था वरन् प्यारा सिंह की पत्नि का नाम जसकौर उर्फ जसवीर कौर है जो कि प्रतिवादिया संख्या 1 है तथा प्रतिवादिया संख्या 2 रानी मृतक प्यारा सिंह की पुत्री है एवं उक्तानुसार ही प्रतिवादीगण के तमाम पहचान पत्रों में प्यारा सिंह का नाम दर्ज है अतः श्रीमान् न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.06.2016 को अप्रार्थीगण जो रिकार्डेड खातेदार है के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है, क्योंकि अप्रार्थीगण विवादीत आराजी में रिकार्डेड खातेदार होनें से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमी पर अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है अतः दिनांक को 20.06.2016 जो जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 17-09-2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर